

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम अराई (अजमेर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

- रुकसाना बानो पत्नी स्व. रज्जाक मोहम्मद जाति पिनारा निवासी ग्राम भोगादीत अराई जिला अजमेर राज व अन्य।
-प्रार्थी।

बनाम

- नवीबक्ष पुत्र भूरा जाति पिनारा मुसलमान निवासी ग्राम पारली तहसील मालपुर जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 29 / 2023

ऑनलाइन नंबर 2023 /

वकील प्रार्थी :- अशोक शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.07.2023	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
13/7/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान् उप. /हेतु समय चाहा/वास्ते.....पत्रावली दिनांक 10/8/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
10/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 06/9/23 को पेश हो।	
6/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	

मिसेल कालिय
न उप.
मिय
वले

पत्रावली पेश हुई वकील पत्रावली कडा
न्यायालय सभ में स-२ स कावर्ष लडावर्ष जा
रिनु अग्रिम अग्रिम। पत्रावली कडावली एव
असु पत्र) न खादीय मिला पाता है पत्रावली
पत्र ल अग्रिम अग्रिम नखर ले स है

WB